प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 48 /2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

एक्सेस सेवा प्रदाताओं और टेलीमार्केटर्स के साथ बैठक

नई दिल्ली, 06 अगस्त, 2024 – अवांछित वाणिज्यिक कॉल के बारे में उपभोक्ता से प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में भादूविप्रा ने स्पैमर्स पर कार्रवाई करने के लिए विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 6 अगस्त को एक्सेस सर्विस प्रदाताओं और उनके डिलीवरी टेलीमार्केटर्स के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई-

(i) संस्थाओं की जानकारी के बिना हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के दुरुपयोग के उदाहरण।

(ii) ऐसे संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार इकाइयों की पहचान करने और उनका पता लगाने तथा ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं और डिलीवरी टेलीमार्केटर्स द्वारा उठाए गए कदम।

(iii) प्रोमो कॉल का नियंत्रण, चाहे वे रोबोटिक कॉल हो/ ऑटो-डायलर कॉल हो/ पूर्व-रिकॉर्डेड कॉल हो, **और भादूविप्रा नियमों के अनुपालन में, ऐसे सभी उद्दयम व्यवसाय ग्राहकों को थोक संचार भेजने हेतु** डीएलटी प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करना।

विनियामक ने सभी हितधारकों, विशेष रूप से एक्सेस सेवा प्रदाताओं और उनके डिलीवरी टेलीमार्केटर्स से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें ट्रेसिबिलिटी के लिए तकनीकी समाधान लागू करना और पीआरआई/ एसआईपी के माध्यम से 10 अंकों के नंबरों का उपयोग करके अपने उद्यम ग्राहकों द्वारा बड़े पैमाने पर होने वाले कॉलिंग को रोकना शामिल है।

सेवा प्रदाताओं और उनके टेलीमार्केटर्स को विनियामक द्वारा एक **कड़ा** संदेश दिया गया है कि वे इस संबंध में आगे आएं और वॉयस कॉल का उपयोग करके **बड़े पैमाने पर होने वाले संचार पर अंकुश लगाने** के लिए प्रभावी उपाय करें।

ह/-

(महेन्द्र श्रीवास्तव)

प्रधान सलाहकार, (भादूविप्रा)

******